न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः— श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण सख्या : 3/2020

बउनवानः—

घनश्याम पुत्र भंवरलाल जाति मीणा निवासी जलोदा तेजाजी तहसील मांगरोल

...प्रार्थी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र वास्ते दुरूस्त करने नाम प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0

वकील प्रार्थी : श्री महेन्द्र सिंह हाडा

दायरा दिनांकः 12.03.2020

निर्णय दिनांक : 04.09.2020

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी का नाम घनश्याम पुत्र भंवरलाल है, सभी दस्तावेज इसी नाम से बने हुए है। सम्वत 2069—2072 जमाबंदी में खाता नया 52 पुराना 44 ग्राम जलोदा तेजाजी में प्रार्थी का नाम घनश्याम पुत्र भंवरलाल हिस्सा 1/5 दर्ज हो रहा है, इसी प्रकार सम्वत 2073—2076 ग्राम जलोदा तेजाजी तहसील मांगरोल के खाता संख्या 57 में भी प्रार्थी का नाम घनश्याम पुत्र भंवरलाल हिस्सा 1/5 दर्ज हो रहा है। लेकिन ग्राम जलोदा तेजाजी तहसील मांगरोल सम्वत 2073—2076 के दूसरे खाते में खाता संख्या 105 में प्रार्थी का नाम घनश्याम दत्तक पुत्र धन्नालाल दर्ज हो रहा है जबकि धन्नालाल ने प्रार्थी के पक्ष में वसीयत लिखी थी ना की गोदनामा, परन्तु नामा0 संख्या 578 दिनांक 26.07.2013 से ग्राम जलोदा तेजाजी की आराजी खाता संख्या 105 में प्रार्थी का नाम घनश्याम दत्तक पुत्र धन्नालाल पुत्र भंवरलाल दर्ज हो गया जो कि दुरूस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2021.01.15 17:44:41 IST
Reason: SelfAttested

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार की पैरोकार भी है, से रिपोर्ट हेतु तबल किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) ने अपने पत्र कमांक/भू0अ0/2020/2989 दिनांक 05.08.2020 से दिनांक 07.08.2020 को जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 29.03.2004 के अनुसार धन्नालाल पुत्र मथुरालाल मीणा ने अपने सगे भाई भंवरलाल के पुत्र घनश्याम के नाम की वसीयत की है जिसमें न्याया0 तहसीलदार मांगरोल के निर्णय दिनांक 26.06.2004 से पंजीकृत वसीयत के आधार पर

ग्राम जलोदा तेजाजी में स्थित कृषि भूमि श्री घनश्याम पुत्र भंवरलाल मीना के नाम दर्ज करने के आदेश करने के आदेश हुए है प्रार्थी के आधार कार्ड में घनश्याम पुत्र भंवरलाल दर्ज है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का आद्योपान्त अध्ययन, अवलोकन व मनन किया गया। संलग्न प्रतिलिपि रजिस्टर्ड वसीयत नामा दिनांक 29.03.2004 के आधार पर धन्नालाल द्वारा उसके भाई के पुत्र घनश्याम के नाम आराजी खाता संख्या 105 ग्राम जलोदा तेजाजी की वसीयत की थी जिसके आधार पर प्रार्थी का नाम घनश्याम दत्तक पुत्र धन्नालाल पुत्र भंवरलाल ग्राम जलोदा तेजाजी की आराजी खाता संख्या 105 में दर्ज हो गया है। जो गलत है उक्त दस्तावेज वसीयत है ना कि गोदनामा। अतः तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात व दिनांक 04.09.2020 को अधिवक्ता प्रार्थी की सुनी गयी बहस के आधार पर ग्राम जलोदा तेजाजी की आराजी खाता संख्या 105 में दर्ज **घनश्याम दत्तक पुत्र धन्नालाल पुत्र भंवरलाल हजफ किया जाकर घनश्याम पुत्र भंवरलाल** दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार तहसीलदार मांगरोल की राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2021.01.15 17:44:41 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 04.09.2020 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया गया।